न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 72 सन 2022

अनवान :–

1. गुरनामसिह पुत्र दलिपसिह जाति रामगढीया सिख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। **वादीया**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. गुरचरणसिह पुत्र दलिपसिह जाति रामगढिया सिख निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. प्रतापसिह पुत्र दलिपसिह जाति रामगढिया सिख निवासी नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 29/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा ढाणी चारणन के खाता संख्या 56/60 की कुल 5.2230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता दलिपसिह के नाम से दर्ज थी दलिपसिह की वसीयत के आधार पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय वादी का नाम गुरनामसिह के स्थान पर हरनामसिह दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वाद भूमि वादी के नाम उसके पिता दलीपसिह की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया ह ैवसीयत में वादी का नाम सही तौर से गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह अकित है राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा वसीयत के अनुसार नाम दर्ज करते समय गुरनामसिह के स्थान पर सहवन से हरनामासिह दर्ज कर दिया जो गलत है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर हरनामासिह पुत्र दलीपसिह के स्थान पर गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा ढाणी चारणन के खाता संख्या 56/60 की कुल 5.2230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता दलिपसिह के नाम से दर्ज थी दलिपसिह की वसीयत के आधार पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

वादी का नाम गुरनामसिह के स्थान पर हरनामसिह दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वाद भूमि वादी के नाम उसके पिता दलीपसिह की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया ह वसीयत में वादी का नाम सही तौर से गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह अकित है राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा वसीयत के अनुसार नाम दर्ज करते समय गुरनामसिह के स्थान पर सहवन से हरनामासिह दर्ज कर दिया जो गलत है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा ढाणी चारणन के खाता संख्या 56/60 की कुल 5.2230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम हरनामसिह पुत्र दलीपसिह अंकित है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह के स्थान पर हरनामसिह पुत्र दलीपसिह दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पिता दलीपसिह की वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के पिता दलीपसिह की वसीयत में वादी का नाम सही तौर से गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह अंकित किया गया है राजस्व रिकार्ड में वसीयत के अनुसार अंकन करते समय वादी का नाम गलत किया गया है

वादी ने अपने कथनो के समर्थन में वादी के पिता दलीपसिह पुत्र रूडसिह की वसीयत की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार दलीपसिह ने अपने पुत्रो के नाम अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की वसीयत की गई है जिसमें वादी का नाम गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह अंकित है अर्थात वादी के पिता की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते समय वादी का नाम गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह के स्थान पर हरनामसिह पुत्र दलीपसिह अंकित किया गया है जो संशोधन योग्य है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /वादी के शपथ पत्र/ पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 56/60 की कुल 5.2230हैक भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है में वादी का नाम हरनामसिह पुत्र दलीपसिह अंकित है के स्थान पर गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह जाति रामगढिया सिख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 72 सन 2022 निर्णय दिनांक– 29/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 56/60 की कुल 5.2230हैक भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है में वादी का नाम हरनामसिह पुत्र दलीपसिह अंकित है के स्थान पर गुरनामसिह पुत्र दलीपसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner